न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–225 / 2018

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम अजय कुमार महतो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

29/01/2020

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1326 / गो0 (नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दरभंगा), दिनांक–06.09.2018 से प्राप्त सिमरी थाना कांड सं0–103 / 18 दिनांक 21.07.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन टेम्पु चेसिस सं0–MBX0000ZFPC677137 तथा इंजन सं0–R3C2304766 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में उक्त जब्त वाहन स्वामी का नाम / पता, पंजीयन संख्या प्राप्त किया, जिसमें उक्त जब्त वाहन टेम्पु का पंजीयन सं0–BR06PB-7365 पाया गया। तत्पश्चात् वाहन स्वामी को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु विपक्षी वाहन स्वामी इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए एकपक्षीय सुनवाई की गयी।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान NH-57 पर शोभन की ओर जा रहे थे तो कुमरपट्टी चौक के पास एक टेम्पु दरभंगा की ओर जा रही थी जिसका आगे से लाईट बंद था। पुलिस जीप को आगे बढ़ाकर टेम्पु चालक को रूकने का इशारा किया। जब टेम्पु चालक द्वारा टेम्पु रोका गया तो उसमें से तीन व्यक्ति उतरकर भागने का प्रयास किया। जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। स्वतंत्र साक्षी के उपस्थित नहीं रहने के कारण सशस्त्र बल के सहयोग से टेम्पु की तलाशी ली गयी तो टेम्पु में चालक सीट के नीचे बनाये गये डिक्की में जूट के बोरा में रखा हुआ रॉयल स्टैग *750ml* का शराब का बोतल तथा टेम्पु के पीछे की ओर सवारी बैठने के लिए बने सीट के नीचे बनाये गये डिक्की में से एक जूट के बोरा में तथा दूसरे प्लास्टिक के बोरा में रॉयल स्टैग *750ml* का शराब भरा हुआ पाया गया। जिसे बाहर निकालकर गिनती करने पर कुल 54 (चौवन) बोतल पाया गया। इस प्रकार कुल 40.500 लीटर शराब बरामद हुआ, जिसे टेम्पु के साथ विधिवत् जब्त किया गया। बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन टेम्पु से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। जिसे पुलिस बल द्वारा गश्ती, चेकिंग के क्रम में विधिवत् बरामद शराब के साथ जब्त किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त मोटरसाईकिल का उपयोग अवैध शराब

के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु दिनांक 22.05.2019 को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत के पश्चात् भी उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये। जिससे स्पष्ट होता है कि इन्हें इस वाद में कुछ नहीं कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सिमरी थाना कांड सं0–103/18 दिनांक 21.07.2018 में जब्त वाहन टेम्पु निबंधन सं0–BR06PB-7365 चेसिस सं0–MBX0000ZFPC677137 तथा इंजन सं0–R3C2304766 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा